

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)  
(दिनांक 02.07.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 33/2025

GCMS NO :- 2025/46

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.


जनवान :- अमर सिंह बनान राज ठ सरकार

-आदेश-

दिनांक : 02.07.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं फटवारी हल्का फरारी बंला की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सहड का बास की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 68 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व सिकार्ड में अमल दरसमद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व सिकार्ड में दर्ज की जानी है
1	सहड का बास	68	अमर सिंह पुत्र प्रमात कृष्णा पुत्री प्रमात कोशिला देवी पुत्री प्रमात	अमर सिंह पुत्र प्रमातोलाल कृष्णा पुत्री प्रमातोलाल कोशिला देवी पुत्री प्रमातोलाल

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

क्रमांक - राजस्व/2025/571

दिनांक - 21/7/25

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार बुहाना को मंत्रकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व सिकार्ड में अमल दरसमद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट फिजवाये।
- अमर सिंह पुत्र प्रमातोलाल उम्र 68 साल निवासी सहड का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज ठ को सूदनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

